

नए मॉडल सिग्नल जारी किए जाते हैं।
 सिग्नल का प्रकार
 न्यूमैन सिग्नल व डिवाइस का प्रकार

जब अदालत
 बंद रहकर
 नियम 25
 बनाने

समाचार नुसार न्यूमैन सिग्नल जारी किए जाते हैं।
 न्यूमैन सिग्नल व डिवाइस का प्रकार
 नुकदमा संख्या 03/2022

दिनांक	नंबर व कार्य अदालत जो इन हुकम की तारीख में जारी हुए
<p>12.1.2022</p> <p>न्यायालय यह बंद वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री केशवराज चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कारस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रारंभ किया गया है। 1. कार्य मॉडल न्यूमैन है। 2. वांछित दस्तावेज सतमन/दस्तावेज है। 3. न्यूमैन बंद न्यायालय के कार्याधिकार में है। 4. बंद वाद दर्ज करने योग्य है।</p> <p>अवलोकनार्थ एव आदेशार्थ</p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.एन.)सिणधरणी</p>	
<p>12.01.2022</p> <p>यह बंद वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री केशवराज चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कारस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रारंभ किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। बंद वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निर्देश किया गया। जो प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीनी वहन करेगी। बकील वादीनी को प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी की प्रतीति दी जावे। पत्रावली बाल्ले-प्रतिवादीगण को तलबी व जवाब हेतु दिनांक 09.02.2022 को भेजा हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (S.D.F.) सिणधरणी</p>	
<p>09.2.2022</p> <p>बकील प्रार्थी/वादी अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी कोर्ट-10 सेक्ससम-बाल्ले दिग्ग महासैनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली बाल्ले-प्रतिवादीगण को तलबी व जवाब हेतु दिनांक 16.3.2022 को भेजा हो।</p>	
<p>16.3.2022</p> <p>बकील वादीनी अ.प्र.। आधीपकता श्री</p>	

शंकरलाल साहू की ओर से आधीपकता (नं. 03) की तलब से पराजितनामा भेजा गया है। जो अभी तक मिला नहीं है। शेष आधीपकता के सम्मन का अंतर्गत दोस्त पत्रावली बाल्ले-आधीपकता रजिस्ट्री 03 अवकाश व दोष आधीपकता तलबी बाल्ले-दोस्त दिनांक 13.4.2022 को भेजा है।

सहायक कलक्टर
 (S.D.F.) सिणधरणी

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

जीसीएमएस संख्या	बनाम	किरम मुकदमा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज		
23/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइ-नो 26/11/24 को पेश हो।</p>		
26/9/24	<p>पत्रावली कानून पेश हुई। वादीनी एवं वकील वादीनी अनुपस्थित। वादीनी को कम कृषिपत्रा को संभाल में तीन बार तीन-तीन आसनों डिकार्ड गडी कागजों आसनों डिकार्ड के वादीनी एवं वादीनी के कृषिपत्रा के अनुपस्थित रहने से इस उक्त प्रकरण वादीनी की अडम हाजिरी अडम पैरवी में धारण किया गया है। पत्रावली केवल सुभा लेकर डाखन स्थित है।</p>		